कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के दौरान बजट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) और पंद्रहवें वित्त आयोग (पं वि आ) की सिफ़रिशों के सापेक्ष राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने और प्रभावी प्रवृत्तियों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए अतिरिक्त आँकड़ों जैसे कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा पाँच अध्यायों में प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 राज्य की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2022 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण एवं वह ढंग, जिसमें सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण का विवरण प्रदान करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, बजटीय सहायता के विवरण की चर्चा करता है। यह रा सा क्षे उ के द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को भी दर्शाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1: विहंगावलोकन

- वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,114 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,128 करोड़ (स रा घ उ का 1.63 *प्रतिशत*) हो गया। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का हस्तांतरण न करने आदि के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 479 करोड़ (11.60 *प्रतिशत*) से अधिक दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ (स रा घ उ का 1.47 *प्रतिशत)* रहा जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 *प्रतिशत* के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष हो जाने के कारण, राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व के अहस्तांतरण आदि के कारण ₹ 243 करोड़ (6.50 *प्रतिशत*) कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

अध्याय-2: राज्य के वित्त

- सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं केन्द्रीय करों और शुल्कों मे राज्यांश (₹ 3,337 करोड़) में वृद्धि के कारण, गत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना मे यह वृद्धि आंशिक तौर पर करेत्तर राजस्व ₹ 1,415 करोड़ (33.92 *प्रतिशत*) से प्रति-संतुलित हुई।

[प्रस्तर 2.3.2.1]

- 2017-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 *प्रतिशत* (82.92 *प्रतिशत* से 85.57 *प्रतिशत* के बीच) था। 2017-22 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। 2017-22 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान, वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के 61 *प्रतिशत* से 68 *प्रतिशत* के बीच था, जबकि, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 55 *प्रतिशत* से 73 *प्रतिशत* के बीच लेखांकित किया गया।

[प्रस्तर 2.6.1 एवं 2.6.2]

- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 996 करोड़ (15.23 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 7,112 करोड़) से ₹ 422 करोड़ अधिक रहा साथ ही साथ यह बजट में किए गए अनुमान (₹ 8,973 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 1,439 करोड़ कम था।

[प्रस्तर 2.6.3]

- राज्य सरकार ने बजटीय सहायता प्रदान की थी एवं घाटे मे चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो और उन सरकारी निगमो और कंपनियों मे भी निवेश किया था जिन्होंने अपने खातों को अंतिम रूप नही दिया था। सांविधिक निगमो, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों मे राज्य सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 17.08 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.90 करोड़) का 0.83 *प्रतिशत* थी।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (i), (iv)]

- वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 509.66 करोड़ की 75 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (v)]

- 2021-22 के दौरान, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में व्यय उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2021-22 के दौरान यह उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।

[प्रस्तर 2.7]

- प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस ₹ 7.17 करोड़ के सापेक्ष, ₹ 1.87 करोड़ ही प्राप्त हुई, फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था, जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 2.8.2.3]

- गत वर्ष की तुलना में कुल राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात में 2021-22 में 2.32 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह 28.12 *प्रतिशत* पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य 25 *प्रतिशत* से अधिक था।

[प्रस्तर 2.9.2]

अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन

- 2021-22 के दौरान, कुल अनुदान और विनियोग ₹ 65,012.40 करोड़ के सापेक्ष ₹ 14,318.05 करोड़ की कुल बचत हुई।

[प्रस्तर 3.2]

- ₹ 19.64 करोड़ का व्यय राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था। इसी प्रकार, ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्यों और रख-रखाव से संबंधित था।

[प्रस्तर 3.3.2]

- चालीस प्रकरणों में ₹ 7,072.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।

[प्रस्तर 3.3.3 एवं 3.4.1]

- वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक के लिए ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमित किया जाना था।

[प्रस्तर 3.6.4]

अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2021 तक दिये गए ₹ 1,390.90 करोड़ के अनुदान से संबन्धित 321 उपयोगिता प्रमाण पत्र (मार्च 2022 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2022 तक, ₹ 27.33 करोड़ के 243 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। ₹ 10,717.43 करोड़ की निधियाँ आहरण एवं वित्तरण अधिकारियों के स्वयं के खाते और कार्य एजेंसियों को अंतरित की गयी है और अंतिम व्यय के रूप मे मानी गई है, निधियों के अंतिम उपयोग के आश्वासन के अभाव में व्यय की इतनी बड़ी धनराशि की अनदेखी नही की जा सकती है।

[प्रस्तर 4.6, 4.7.1]

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों ‘800-अन्य व्यय’ और ‘800 अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,343 करोड़) और प्राप्तियों (₹ 1,223 करोड़) को दर्ज किया गया था, जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के सार्वत्रिक संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को असुरक्षित किया।

[प्रस्तर 4.9]

- 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति और व्यय का मिलान क्रमश: 95.19 और 89.02 *प्रतिशत* था। व्यय के आंकड़ो के मिलान में 2020-21 में 73.59 *प्रतिशत* से सुधार हुआ और यह चालू वर्ष में 89.02 *प्रतिशत* हो गया। हालाकि प्राप्तियों के आंकड़ो के मिलान का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कमोबेश समान था। राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना सरकार के कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है।

[प्रस्तर 4.11]

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

[प्रस्तर 4.13]

अध्याय-5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में सरकार की भूमिका

- 31 मार्च 2022 तक, 27 सरकारी कंपनियों, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और चार वैधानिक निगमों सहित 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (रा सा क्षे उ) थे। 32 रा सा क्षे उ में से, नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय थे (परिसमापन के अन्तर्गत सात रा सा क्षे उ सहित)।

[प्रस्तर 5.1.3]

- 14 रा सा क्षे उ जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद तक अपने खाते प्रस्तुत किए थे में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,449.81 करोड़ था। निवेश इक्विटी के रूप में 43.71 *प्रतिशत* और दीर्घावधि ऋण के रूप में 56.29 *प्रतिशत* था। इन रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 3,553.58 करोड़ की इक्विटी और ₹ 839.59 करोड़ के दीर्घावधि ऋण सहित ₹ 4,393.17 करोड़ का निवेश किया था।

[प्रस्तर 5.2]

- 14 रा सा क्षे उ (13 सरकारी कंपनियां और एक वैधानिक निगम) के संबंध में रा सा क्षे उ के अभिलेखों तथा वित्त लेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति मे ₹ 569.98 करोड़ का अंतर था।

[प्रस्तर 5.2.2]

- वर्ष 2021-22 के दौरान दो रा सा क्षे उ ने लाभांश का भुगतान किया।

[प्रस्तर 5.2.3]

- सात रा सा क्षे उ का निवल मूल्य ₹ 4,907.48 करोड़ के संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उनका निवल मूल्य ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था। जिन रा सा क्षे उ की पूंजी समाप्त हो गई है, उनमें पांच रा सा क्षे उ के संबंध में बकाया उत्तराखण्ड सरकार का ऋण 31 मार्च 2022 तक ₹ 295.66 करोड़ था।

[प्रस्तर 5.2.4]

- रा सा क्षे उ वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कम्पनियां के 130 लेखे बकाया थे। इसके अतिरिक्त, चार वैधानिक निगमों के 12 लेखे भी बकाया थे।

[प्रस्तर 5.3.2]